झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय-सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,बुधवार,दिनांक- 27 फाल्गुन,1936 (श0) / 18 मार्च ,2015 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(131)-	अ0सू0-41	श्री जानकी प्रसाद यादव	अस्पताल निर्माण कार्य पूर्ण करना।	भवन निर्माण (स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित)	13.03.15
(132)-	अ0सू0-34	श्री आलमगीर आलाम	पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	11.03.15
(133)-	अ0सू0-28	श्री आलमगीर आलाम	धापाकल की मरम्मति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता।	09.03.15
(134)-	अ0सू0-33	श्री स्टीफन मरांडी	पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	11.03.15
(135)-	अ0सू0-25	श्री अनन्त कु0 ओझा	मॉडल जिला बनाना।	नगर विकास	09.03.15
(136)-	अ0सू0-27	श्री आलोक कु0 चौरसिया	बी0पी0एल0 सूची में शामिल करना।	ग्रामीण विकास	09.03.15
(137)-	अ0सू0-29	श्री दीपक बिरूवा	पदाधिकारी पर कार्रवाई करना।	पथ निर्माण	09.03.15
(138)-	अ0सू0-32	श्री कमल किशोर भगत	पदस्थापन करना।	ग्रामीण कार्य	11.03.15
(139)-	अ0सू0-30	श्री रघुनन्दन मण्डल	कमली सूची में डालना।	ग्रामीण कार्य	09.03.15
(140)-	अ0सू0-22	श्री राधाकृष्ण किशोर	पथों का निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	03.03.15
(141)-	अ0सू0-15	श्री प्रदीप यादव	हज हाउस का निर्माण करना।	भवन निर्माण	03.03.15

⊗ भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 802, दिनांक 17.03.15 द्वारा स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित।

(42)- अ०सू०-16 श्री प्रदीप यादव	दोसी अभियंताओं पर कार्रवाई करना।	भवन निर्माण	02.03.15
(43)- अ०सू०-23 श्री राज सिन्हा	पाईप लाईन से जोड़ना।	पेयजल एवं स्वच्छता ।	03.03.15

राँची
दिनांक-18 मार्च,2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-झा०वि०स०-05/15-1303/वि०स०,राँची,दिनांक:-16 मार्च,2015 ई०।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.15
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-झा०वि०स०-05/15-1303/वि०स०,राँची,दिनांक:-16 मार्च,2015 ई०।

प्रतिलिपि :-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.15
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

श्री आलमगीर आलम, माननीय रा0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–34 का उत्तर प्रतिवेदन ।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत राज्य के 100 गाँव को आदर्श गाँव बनाना प्रारंभ किया गया, जिसे वित्तीय वर्ष 2013–14 तक पूरा करना था।	स्वीकारात्मक । वित्तीय वर्ष 2011 12 में आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत 100 ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिला द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण राशि उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे निर्माण कार्य बन्द है।	अस्वीकारात्मक । आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 5430.28 लाख (पचास करोड़ तीस लाख अट्ठाईस हजार), वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू0 2722.27 (सत्ताईस करोड़ बाईस लाख सत्ताईस हजार) तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 1260.00 लाख (बारह करोड़ साठ लाख) कुल 9912.55 लाख (निन्नानवें करोड़ बारह लाख पचपन हजार) की राशि संबंधित जिलों को योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा शेष उपलब्ध कराये हुए निर्माण कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिलों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1119 दिनांक 17.03.15

ग्रा0वि0 08 वि0स0–18/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 1087/वि0स0 दिनांक 11.03.2015 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2015
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 1119 दिनांक 17.03.15

ग्रा0वि0 08–वि0स0–18/2015

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्री आलमगीर आलम, माननीय रा0वि0स0 के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2015
सरकार के अवर सचिव ।

माननीय विधायक श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.03.2015 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं. अ0सू0–28 का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहरवा प्रखण्ड में 520 एवं पाकुड़ जिला के पाकुड़ प्रखण्ड में 450 चापाकल खराब है;	वस्तुस्थिति यह है कि साहेबगंज जिला अंतर्गत बरहरवा प्रखंड की कुल आबादी वर्ष 2011 के अनुसार 1,43,433 है। वहाँ पर कुल चापाकलों की संख्या 01.01.14 को 2028 है। चालू चापाकलों की संख्या 1867 है एवं बंद चापाकलों की संख्या 161 है। इस प्रकार 76 व्यक्ति पर एक अदद चालू चापाकल है, जो भारतीय मानक से अधिक है। इस आधार पर पेयजल की कोई समस्या नहीं है बंद चापाकलों को चालू करने की कार्रवाई की जा रही है। पाकुड़ जिला अंतर्गत पाकुड़ प्रखण्ड की कुल आबादी वर्ष 2011 के अनुसार 236288 है। 01.04.14 को कुल नलकूपों की संख्या 3426 है जिसमें चालू नलकूपो की संख्या 3257 है बंद नलकूपों की संख्या 169 है। इस प्रकार 72 व्यक्ति पर 1 अदद चापाकल चालू है जो भारतीय मानक के अनुसार पेयजल की कोई समस्या नहीं है। बंद चापाकल को चालू करने की कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि बरहरवा प्रखण्ड में 290 एवं पाकुड़ प्रखण्ड में 270 चापाकल का विशेष मरम्मती (एस0आर0) योजनान्तर्गत चयन कर निर्माण कराने की स्वीकृति दी गयी, जिसके विरुद्ध अबतक मात्र 25 चापाकल का ही विशेष मरम्मती कराया गया है;	I. बरहवा प्रखण्ड अन्तर्गत विशेष मरम्मति हेतु बन्द नलकूपों की संख्या– 155 मरम्मति हुए नलकूपों की संख्या– 56 II. पाकुड़ प्रखण्ड अन्तर्गत विशेष मरम्मति हेतु बन्द नलकूपों की संख्या– 150 मरम्मति हुए नलकूपों की संख्या– 60 इस तरह पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरहरवा एवं पाकुड़ प्रखण्ड में विशेष मरम्मती के लिए स्वीकृत सभी चापाकल की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। सभी बंद चापाकलों को चालू आवश्यकतानुसार करने की कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल 2015 तक बंद चापाकलों को चालू कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

दिनांक 17/3/15

ज्ञापांक: 8/अल्प सूचित 04/2015 - 898

प्रतिलिपि: झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 847 दिनांक 09.03.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

श्री स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा आगामी दिनांक 18.3.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0 – 33 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता श्री स्टीफन मराण्डी माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर दाता श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि मनरेगा कानून के अन्तर्गत काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि मनरेगा कानून के अन्तर्गत समय पर मजदूरी नहीं मिलने पर विलम्ब भत्ता देने का प्रावधान है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों प्रकार के भत्ते देने संबंधी नियमावली बनाने का काम दो (2) वर्ष से चल रहा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। विलम्ब से मजदूरी भुगतान हेतु ज्ञापांक 3153 (अनु0) दिनांक 05.5.2014 एवं पत्रांक - (N) 1022 (अनु0) दिनांक 10.9.2014 द्वारा सभी जिलों को निदेश प्रेषित किया गया है। विलम्ब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति संबंधित दावों का जाँचोपरान्त भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। बेरोजगारी भत्ता के भुगतान हेतु विभागीय पत्रांक (N) 1023 दिनांक 10.9.2014 द्वारा सभी जिलों को निदेश दिया गया है। साथ ही झारखण्ड राज्य के लिये मनरेगा श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड राज्य विलम्बित मजदूरी भुगतान के लिये क्षतिपूर्ति नियमावली एवं बेरोजगारी भत्ता के भुगतान हेतु झारखण्ड राज्य बेरोजगारी भत्ता नियमावली प्रक्रियाधीन है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख प्रारूप अनुमोदन हेतु उपस्थापित है।
5. अगर उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने तथा तत्काल नियमावली बनाकर अनुपूर्ति प्रावधान लागू करने का चेक्टर रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता एवं विलम्बित मजदूरी भुगतान के लिये क्षतिपूर्ति भत्ता हेतु विभागीय स्तर से सभी जिलों को प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। तदनुसार जिलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 11–306/वि0 स0/2015/ग्रा0 वि0 (N) 442 राँची, दिनांक 14-3-2015

प्रतिलिपि :– श्री शैलेश रंजन, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 1096 दिनांक 13.3.2015 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/3/15

(रतन कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 11–306/वि0 स0/2015/ग्रा0 वि0 – (N) 442 राँची, दिनांक 14-3-2015

प्रतिलिपि : माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/3/15

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय रा0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–25 का उत्तर सामग्री।

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड का एकमात्र साहेबगंज जिला पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गंगा नदी के किनारे अवस्थित है?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात भी सही है कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "नमामि गंगे" के तहत् साहेबगंज जिला को मॉडल जिला बनाने का निर्णय वर्ष–2014 में लिया गया है।	भारत सरकार के स्तर पर दिनांक- 06.01.2015 को गंगा संरक्षण पर आयोजित बैठक में झारखण्ड में गंगा नदी का Stretch अन्य राज्यों के अपेक्षा कम होने के कारण नदी का संरक्षण का कार्य अति सुगमतापूर्वक सम्पादित करते हुए मॉडल के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज जिला के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय योजना "नमामि गंगे" के तहत् साहेबगंज को मॉडल जिला बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जल संसाधन, नगर विकास विभाग तथा पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता विभागों द्वारा मॉडल के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग तीन वर्षों का समय लगेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–2 (B)/न0वि0/विधान सभा–01/2012 -983 राँची/दिनांक 17-03-15

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय के ज्ञापांक सं0–855, दिनांक–09.03.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

(राम नारायण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–27 का उत्तर प्रतिवेदन ।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि 2002 में बी0पी0एल0 का सर्वेक्षण हुआ था।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सर्वेक्षण में अनेकों असली निर्धन व्यक्ति बी0पी0एल0 सूची से बाहर है।	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में उपलब्ध जो सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आकड़े उपलब्ध हो जाने के पश्चात भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आधार पर बी0पी0एल0 की नयी सूची तैयार की जायेगी।
3.	क्या यह बात सही है कि 2002 का बी0पी0एल0 सर्वेक्षण को 2007 में कायम रखा गया	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र की जनता बी0पी0एल0 में सुधार के लिए सरकार से मांग करती आ रही है	स्वीकारात्मक। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आकड़े के आधार मानते हुए भारत सरकार से निदेश के आधार पर बी0पी0एल0 की नयी सूची तैयार की जायेगी।
5.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अति निर्धन परिवार का सर्वेक्षण कराकर बी0पी0एल0 सूची में शामिल करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे से प्राप्त सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के डेटा तथा भारत सरकार के निदेशों के आधार पर बी0पी0एल0 व्यक्तियों की नयी सूची तैयार की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1060 दिनांक 16.03.15

ग्रा0वि0 08–वि0स0–15/2015

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 845/वि0स0 दिनांक 09.03.2015 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/15
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 1060 दिनांक 16.03.15

ग्रा0वि0 08–वि0स0–15/2015

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सांख्यिकी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/15
सरकार के अवर सचिव ।

मान0, स0वि0स0, श्री दीपक बिरूआ द्वारा दिनांक 18.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ0सू0 29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1 क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा से करणी मंदिर से पुराना चाईबासा तक 4.5 कि0मी0 सड़क का निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2 क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के चौड़ीकरण कार्य में पेसा एक्ट 1996 की धारा 4(झ) में उल्लेखित प्रावधानों की अनदेखी कर निर्माण किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। भारत सरकार के सर्वे आधारित टोपोसिट के अनुसार ROW (Right of way) की सीमान्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। अतएव पेसा एक्ट का उल्लंघन नहीं है।
3 क्या यह बात सही है कि बिना ग्राम सभा के रैयतों को सहमति के सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाते हुए जबरन भूमि अर्जित की जा रही है, जिसके आलोक में दिनांक - 04.02.2015 को एस0सी0/एस0टी0 एट्रोसिटी एक्ट के तहत् मुफस्सिल थाना में पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं आर0के0 कन्सट्रक्शन के मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र आदेश के अनुसार ऐसी रैखिक परियोजना (कार्य) जो एक से अधिक गाँव से सम्बद्ध हो परन्तु एक ही प्रखंड के अंतर्गत हो, उन कार्यों में ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अतएव प्रश्नगत् मामले में ग्राम सभा की सहमति वांछित नहीं है। इस प्रकार प्राथमिकी तथा विवाद जैसे व्यवधान से जनहित की सड़क विकास परियोजना प्रभावित हो रही है।
4 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पेसा एक्ट 1996 की धारा–4(झ) के विरूद्ध करायी जा रही सड़क निर्माण पर करने पर विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों के उत्तर से स्पष्ट है कि पेसा एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है। व्यवधान समाप्त होने के उपरांत पथ निर्माण की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अल्पसूचित–05/2015 1928(J) राँची/दिनांक : 17/3/15

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 851 दिनांक 09.03.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

17/3/15

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : पनिवि०–11–अल्पसूचित–06/2015 1928(5) राँची/दिनांक : 17/3/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/15

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–32

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण कार्य विभाग, राँची का अधीक्षण अभियंता का पद दो माह से रिक्त पड़ा है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विभाग के मुख्य अभियंता को अभियंता प्रमुख का प्रभार दिया गया है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापन करने एवं खण्ड 2 में वर्णित अभियंता प्रमुख का पदस्थापन जल्द से जल्द करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. खण्ड–1 के पद पर पदस्थापन प्रक्रियाधीन है। पथ निर्माण विभाग से अभियंताओं की सेवा प्राप्त होने पर नियमित पदस्थापन कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–229/15 ग्रा0का0वि.....796.....राँची/दिनांक ...17.3.15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 250 प्रतियों में उनके ज्ञापांक 1005, दिनांक–11.03.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–229/15 ग्रा0का0वि.....796.....राँची/दिनांक–...17.3.15

प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं सम्पदा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित

17.3.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–229/15 ग्रा0का0वि.....796.....राँची/दिनांक--...17.3.15

प्रतिलिपि–शाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित

17.3.15
सरकार के उप सचिव।

श्री रघुनन्दन मण्डल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–30

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रघुनन्दन मण्डल, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के प्रखंड–पथरगामा अंतर्गत ग्राम–कोरका मोड़ से ग्राम–कोरका तक 3 कि0मी0 सड़क वित्तीय वर्ष 2013–14 में M.R योजना के तहत् एक करोड़ की लागत से बनायी गई है, जिसका पूर्ण भुगतान संवेदक को कर दिया गया है',	1. स्वीकारात्मक।
2 क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ निर्माण में प्राक्कलन के अनुसार सड़क के दोनों किनारे में मिट्टी भराई का कार्य कराया जाना था;	2. स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि वर्णित पथ एक तरफ से बनते गया एवं दूसरी ओर उखड़ते गया वहीं दूसरी ओर सड़क में सैकड़ों जगहों पर सड़क अन्दर दबते गया जिस कारण सड़क में गढ़ढ़े बन गये हैं,	3. आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे घटिया निर्माण कार्य करने वाले संवेदक से पुनः प्राक्कलन के मुताबिक कार्य करवाने का विचार रखते हुए ऐसे अनियमितता पूर्ण कार्य के लिए काली सूची में डालने के विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	4. उक्त पथ वित्तीय वर्ष 2013–14 में एम0आर0 के तहत स्वीकृत है, जिसकी लम्बाई 4.30 कि0मी0 है। पथ में कहीं–कहीं पैच हो गया था, निदेश पर संवेदक द्वारा सुधार का कार्य कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–217/15 ग्रा0का0वि.....760..... राँची/दिनांक–16.3.15

प्रतिलिपि अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 250 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–842, दिनांक–09.03.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–217/15 ग्रा0का0वि.....760..... राँची/दिनांक–16.3.15

प्रतिलिपि मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 05 (वि0स0–12)–217/15 ग्रा0का0वि.....760..... राँची/दिनांक 16.3.15

प्रतिलिपि–प्रशाखा 5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.15
सरकार के उप सचिव।

श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.03.2015 को पूछा जानेवाला
अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–22

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सातवें चरण वर्ष 2010–11 में पलामू जिला के पाटन प्रखंड की चार ग्रामीण सड़कें क्रमशः नावा से बुका, नहुदिया से डंडला, एचकेड़िया से रोक तथा बरजोहा से चेतमा का निर्माण कार्य हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है, कार्यों की गुणवत्ता अत्यन्त ही घटिया है?	1. आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि 05 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त चारों पथों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है?	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पथों का निर्माण कार्य पूरा कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	3. सरकार उक्त पथों का निर्माण कराने के लिए कटिबद्ध है तथा जून, 15 तक सम्पन्न कराने की योजना है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0+0–12)- 194/15 ग्रा0का0वि.....757.....राँची/दिनांक–16.3.15
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 258 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–585, दिनांक–03.03.15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

16.3.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)- 194/15 ग्रा0का0वि.....757.....राँची/दिनांक–16.3.15
प्रतिलिपि–प्र0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 05 (वि0स0–12)–194/15 ग्रा0का0वि.....757.....राँची/दिनांक–16.3.15
प्रतिलिपि प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.15
सरकार के उप सचिव।

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक-18.03.15 को पूछा जाने वाला
अल्प-सूचित प्रश्न सं०-15 का उत्तर सामग्री

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि 2008 से 4.88 करोड़ की लागत से कडरू राँची में बन रहे हज हाउस के भवन की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है।	हज हाउस के निर्माण के लिए कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में 488.72 लाख की योजना स्वीकृत करते हुए कार्य कराने का जिम्मा आवास बोर्ड को सौंपा गया था।
2	क्या यह बात सही है कि भवन में धांधली सामग्री इस्तेमाल करने का वजह से हज भवन का पोर्टिको धस गया एवं कार्य कर रहे मजदूर भी घायल हो गये थे।	दिनांक-21.09.2009 को निर्माणाधीन भवन के पोर्टिको का छत गिरने की घटना हुई थी। इस घटना में कुछ मजदूर भी घायल हुए थे। पोर्टिको गिरने के कारणों से संबंधित कोई प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग में उपलब्ध नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि बी०आई०टी० मेसरा द्वारा समर्पित जाँच रिपोर्ट में बना बनाए हज हाउस का पूरा निर्माण नहीं हो सकता उल्लेखित है।	(क) 13.05.2013 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में इस योजना के शेष कार्य को भवन निर्माण विभाग से कराने का निर्णय लिया गया। (ख) भवन निर्माण विभाग द्वारा इस अर्द्धनिर्मित भवन की गुणवत्ता के संबंध में बी०आई०टी० मेसरा से प्रतिवेदन की माँग की गई है। उनके द्वारा जाँच का कार्य किया जा रहा है। प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं है। प्रतिवेदन 10 दिनों के अन्दर प्राप्त होने की संभावना है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्तमान हज हाउस को पूरी तरह ढाह कर नया हज हाउस निर्माण तथा दोषी अभियंताओं एवं संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	(ग) बी०आई०टी० मेसरा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही इस बिन्दु पर निर्णय लिया जाएगा कि इस भवन को पूर्ण किया जा सकता है या नहीं। (घ) जहाँ तक दोषी अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न है, यह विषय आवास विभाग से संबंधित है।

झारखंड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक:-भ०-3-विधायी-06/15...503(अ)..../राँची, दिनांक-....17.3.15...../

प्रतिलिपि:- श्री नीलेश रंजन, अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक-590 दिनांक-03.03.15 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.15
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:-भ०-3-विधायी-06/15...503(अ)..../राँची, दिनांक-....17.3.15...../

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग को विधान सभा स्थित कार्यालय कोषांग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, राँची को पाँच-पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.15
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

142

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रदीप यादव सदस्य विधानसभा के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर प्रतिवेदन :-

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह सही है कि लोक निर्माण संहिता 158 के तहत कोई भी निर्माण कार्य बिना टेंडर आमंत्रित किये नहीं कराया जा सकता है?	लोक निर्माण संहिता के नियम 158 (a) के अनुसार 2.50 लाख रूपये से अधिक कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य है। इसी नियम में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से कार्यों को मनोनयन अथवा विभागीय तौर पर कराने का भी उल्लेख है। नियम 292,293,294 में विभागीय कार्य कराने की शक्तियां निम्न रूप से अंकित है:- 1 कार्यपालक अभियन्ता - 1 लाख रूपये तक का कार्य। प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक। 2 अधीक्षण अभियन्ता - 5 लाख रूपये प्रति प्रमंडल प्रति वर्ष तक का कार्य। 3 मुख्य अभियन्ता - 10 लाख रूपये प्रति अंचल प्रति वर्ष तक का कार्य।
2.	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण विभाग के प्रमण्डलों में पदस्थापित इंजीनियर अपने चहेते ठेकेदार से पहले कार्य कराते है, उसके बाद उस कार्य का टेंडर कराते हैं?	उपरोक्त नियम के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त तीव्रता से कार्रवाई की जाएगी।
3.	क्या यह बात सही है कि टेंडर के पश्चात् ही काम कराने के सरकार के आदेश की अवहेलना हो रही है?	सरकार उपरोक्त नियम का पालन दृढ़ता से करने के लिए कृत संकल्प है। उल्लंघन की शिकायत होने पर जाँचोपरान्त तीव्रता से कार्रवाई की जाएगी।
4.	यदी उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है। यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	अगर लोक निर्माण संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त होगी तो जांच करवाकर दोषी अभियन्ता तथा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञापांक :- सं०सं०-प०-3-विधायी-05/15 502 (ए) दिनांक :- 17.3.15

प्रतिलिपि :- निलेश रंजन, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञाप संख्या- 589, दिनांक- 03.03.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.15
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :- सं०सं०-प०-3-विधायी-05/15 502 (ए) दिनांक :- 17.3.15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, राँची। माननीय मंत्री के संसदीय कार्य विभाग (विधान सभा स्थित कार्यालय कोवांग) को पाँच-पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

17.3.15
(विक्टर होरो)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

143

माननीय विधायक श्री राज सिन्हा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.03.2015 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं. अ0सू0- 23 का उत्तर

क्र	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची एवं धनबाद सहित राज्यव्यापी पैमाने पर भूगर्भीय जल का स्तर काफी नीचे आ गया है जिसके कारण हजारों चापाकल बेकार हो गये हैं तथा पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में वर्षा की मात्रा प्रायः सामान्य से प्रति दो वर्ष में एक बार कम होती है अथवा सुखाड़ की स्थिति बनती है तथा जलसंचयन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का शहरी/औद्योगिक क्षेत्रों में अनिवार्य कर, उसका सख्ती से पालन करना है तथा जलसंचयन हेतु वाटर सेड तथा पुराने तालाबों का जीर्णोधार आवश्यक है। यह सही है कि राँची एवं धनबाद सहित राज्यव्यापी पैमाने पर भूगर्भीय जल स्तर नीचे आ रहा है, परंतु राँची एवं धनबाद में नगर विकास द्वारा शहरी आबादी के योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके फलस्वरूप पेयजल की कोई समस्या शहरी क्षेत्र में नहीं रहेगा। साथ ही विभाग पूरे राज्य में सतही स्त्रोत आधारित ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर प्राथमिकता दी रही है। पूरे राज्य की स्थिति निम्न रूपेण है :- 1) राज्य की ग्रामीण आबादी – 2,50,55,073 2) राज्य में कुल चापाकल - 4,04,047 3) राज्य में कुल कार्यरत चापाकल– 3,34,583 4) प्रति चापाकल पर निर्भर व्यक्ति – 74.66 5) धनबाद जिले में 24 सतही जलस्त्रोत पर आधारित योजनायें चालू स्थिति में हैं तथा 38 अदद लघु जलापूर्ति योजनायें चालू स्थिति में हैं। अतएव जलापूर्ति की कोई समस्या नहीं है। सरकारी मापदण्ड के अनुसार 150 की आबादी पर एक चापाकल का प्रावधान है अतः पेयजल की कोई समस्या नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी जिला मुख्यालयों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ	अस्वीकारात्मक। जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग के अंतर्गत पेयजलापूर्ति की योजना

SUMANT 1

	प्रत्येक प्रखंड को पाईप लाईन से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	की स्वीकृति दी जाती है। प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पंचायत में वित्तीय वर्ष 2015-16 में पाईप लाइन से जलापूर्ति देने पर सरकार प्राथमिकता पर योजना स्वीकृति की कार्रवाई करेगी। वर्तमान में राँची के बेड़ो, नामकुम, काँके तथा इटकी प्रखण्ड मुख्यालयों में जलापूर्ति की व्यवस्था है। माण्डर प्रखण्ड में योजना का कार्य 16.35 करोड़ की लागत से चल रहा है, शेष प्रखण्ड मुख्यालय में इस वर्ष जलापूर्ति योजनाये प्राथमिकता पर प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रकार धनबाद जिले में धनबाद, टुण्डी, बाघमारा, तोपचाँची, बलियापुर, निरसा, प्रखण्डों में पेयजलापूर्ति व्यवस्था है। शेष प्रखण्ड मुख्यालय में इस वर्ष यह व्यवस्था प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/ता० प्र० 03/2014 - 896 दिनांक 17/3/15

प्रतिलिपि: झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 584 दिनांक 03.03.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/15

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

SUMANT 2